



सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में,

1. प्राचार्य,  
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,  
समस्त जनपद, उ०प्र०।
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
सर्व शिक्षा अभियान,  
समस्त जनपद, उ०प्र०।

पत्रांक : आर०ई०एम०एस०(बजट)/ 2419 /2013-14 दिनांक 2/09/2013

विषय: वर्ष 2013-14 हेतु शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण (आर०ई०एम०एस०) मद की धनराशि का प्रेषण एवं इसके उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में जनपद की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण मद में प्रति जनपद ₹305.02 की दर से प्रति विद्यालय का बजट अनुमन्य किया गया है। इसके अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों हेतु शोध एवं मूल्यांकन के लिए ₹31.02 प्रति विद्यालय, जिला परियोजना कार्यालय हेतु अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए ₹90/- प्रति विद्यालय एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र/ नगर संसाधन केन्द्र स्तर पर ₹184/- प्रति विद्यालय अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए धनराशि अनुमन्य की गई है। तदनुसार संलग्न विवरण (संलग्नक-1) के अनुसार जनपदों को धनराशि भेजी जा रही है।

कृपया शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण मद में डायट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा ब्लाक संसाधन केन्द्र/ नगर संसाधन केन्द्र द्वारा निम्नांकित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(1) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान - भारत सरकार द्वारा डायट हेतु ₹31.02 की दर से शोध एवं मूल्यांकन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है एवं संलग्न विवरण (संलग्नक-1) के अनुसार भेजी जा रही है। कृपया निम्नांकित कार्यों को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

एक्शन रिसर्च - एक्शन रिसर्च का उद्देश्य तत्काल समस्या का समाधान करना है। इस हेतु सर्वप्रथम प्रत्येक ब्लाक पर 02 सहसमन्वयकों तथा 3 अध्यापकों को एक्शन रिसर्च कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाए। प्रत्येक डायट के 01 प्रवक्ता को नेन्टर बनाते हुए उत्तरदायित्व सौंपा जाए ताकि वह जम्भीरता से प्रत्येक ब्लाक में 05 एक्शन रिसर्च कराए। एक्शन रिसर्च हेतु पेपर, वर्डिंग आदि के लिए प्रति एक्शन रिसर्च पर ₹500/- तक व्यय अनुमन्य होगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उपरोक्तानुसार एक्शन रिसर्च कराकर उसका परीक्षण कर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। एक्शन रिसर्च के महत्वपूर्ण बिन्दुओं/निष्कर्षों पर संदर्भित ब्लाक के समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की बैठक के दौरान अवगत कराया जाए तथा जनपदीय डायट द्वारा ब्लाकवार एक्शन रिसर्च की सूची सम्बन्धित बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

एक्शन रिसर्च पर संदर्भ व्यक्ति / रिसोर्स परसन का प्रशिक्षण - प्रत्येक डायट द्वारा प्रति ब्लाक 02 सहसमन्वयक तथा 03 अध्यापकों को एक्शन रिसर्च की त्रि-द्विवर्षीय प्रशिक्षण दिये जाने हेतु ₹200/- प्रति प्रतिभाषी की दर से

एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण कराया जाये। एक्शन रिसर्च के माइयूल की प्रिन्टिंग इत्यादि हेतु प्रति प्रतिभागी ₹80/- की दर अनुमन्य है।

**विभिन्न प्रशिक्षणों का अनुश्रवण -**

- वर्ष 2013-14 में ब्लॉक स्तर पर लेने वाले सभी सेवादाता अधिकारियों का जल्द अनुश्रवण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाये ताकि प्रशिक्षण गुणवत्तायुक्त हो रहा है इसकी जानकारी हो सके तथा यह भी देखा जाये कि जितने लोगों को प्रशिक्षण में बुलाया गया है उतनी संख्या में शिक्षक उपस्थित हैं। मेन्टर का दायित्व होगा कि ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण की समीक्षा गहनता से करें तथा उसकी रिपोर्ट डायट प्राचार्य को प्रशिक्षण संपन्न होने के 2 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें। डायट प्राचार्य द्वारा इन निरीक्षण आख्याओं को एक सप्ताह में कार्यवाही करते हुए निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 को सूचित किया जाये।
- सम्प्रति स्नातक शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण प्रत्येक विकासखण्ड एवं नगर संसाधन केन्द्रों में आपके नेतृत्व में सम्पादित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में शिक्षामित्रों द्वारा कक्षा शिक्षण पाठ्य योजना, प्रोजेक्ट कार्य, क्रियात्मक शोध, सामुदायिक कार्य, खेलकूद, योगासन, स्काउट गाइडिंग निर्धारित समय सारिणी वास्तविक उद्देश्यों के तहत की जा रही है अथवा नहीं इस हेतु निरन्तर अनुश्रवण किया जाये, तथा डायट से लगातार फैकेल्टी/मेन्टर्स भेजकर स्थलीय सपोर्ट दिया जाये तथा समीक्षा की जाये। कृपया शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण एवं अन्य सेवारत प्रशिक्षणों को गुणवत्तायुक्त बनाये जाने हेतु विकासखण्डवार प्रभागी बनाते हुए विद्यालय स्तर पर एवं विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षणों का गहनता से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराये। डायट प्राचार्य द्वारा प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी एवं निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 को आख्या भेजी जाये।

**(2) जिला परियोजना कार्यालय -** जिला परियोजना कार्यालय हेतु वर्ष 2013-14 में रिसर्च, इवैल्युएशन, मनीटीरिंग एवं सुपरविजन मद में प्रति विद्यालय ₹90/- की दर से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है जो आपको संलग्न विवरण (संलग्नक -1) के अनुसार प्रेषित की जा रही है। अवमुक्त की जा रही धनराशि का निम्नवत् विवरण के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें :-

- जिले स्तर पर जनपदीय अधिकारियों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों, ब्लॉक समन्वयकों एवं सह समन्वयकों तथा अन्य अधिकारियों की बैठकों के आयोजन हेतु प्रति जनपद ₹ 50,000/- की धनराशि अनुमन्य की गई है। कृपया सर्व शिक्षा अभियान की समस्त योजनाओं के अनुश्रवण हेतु आवश्यकतानुसार गोष्ठियों/बैठकों के माध्यम से कार्यक्रमों की समीक्षा करें तथा यह देखें कि जिस कार्य के लिये धनराशि अनुमोदित की गई है उस कार्य के सापेक्ष कार्य की गति क्या है तथा उसी मद में धनराशि व्यय की जा रही है जिस हेतु बजट आवंटित किया गया है। कार्य की प्रगति कम पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।
- परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों के मुद्रण, आकड़ों का कम्प्यूटरीकरण, क्वालिटी मनीटीरिंग टूलस का मुद्रण तथा आवश्यकतानुसार अन्य आवश्यकतानुसार प्रपत्रों, कैलकुलेशन्स का मुद्रण विद्यालय/ब्लॉक स्तर/नगर स्तर पर जनवाचन /हाऊस होल्ड सर्वे हेतु विज्ञापन प्रचार, प्रसार तथा स्टेशनरी हेतु प्रति जनपद ₹1 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा अनुमन्य की गई है। इसका व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सभी कार्यक्रमों के जिला समन्वयक - बालिका शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, प्रशिक्षण, सामुदायिक शिक्षा, समेकित शिक्षा, निर्माण कार्य एवं अन्य योजनाओं के समन्वयकों तथा एम0आई0एस0 इंचार्ज/ कम्प्यूटर अपरेटर को प्रति माह उनके कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु निरन्तर फ़ील्ड विजिट के लिये भेजा जाये तथा प्रतिमाह प्रत्येक कार्यक्रम की समीक्षा की जाये। आवश्यकतानुसार यात्रा व्यय/ किराये के वाहन की भी व्यवस्था अनुमन्य है।

**(3) खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय (ब्लॉक संसाधन केन्द्र/नगर संसाधन केन्द्र)**

वर्ष 2013-14 में भारत सरकार द्वारा ब्लॉक संसाधन केन्द्र/नगर संसाधन केन्द्र हेतु प्रति विद्यालय ₹184/- की धनराशि अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु अनुमन्य की गई है, जो संलग्न विवरण (संलग्नक-1) के अनुसार भेजी जा रही है। अवमुक्त की जा रही धनराशि से निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाये-

- खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रति ब्लॉक 15,000/- की धनराशि अनुमन्य की गई है। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने ब्लॉक में स्थित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निरन्तर इस तरह अनुश्रवण करें कि प्रत्येक माह में कम से कम 40 विद्यालय उनके द्वारा स्वयं देखे जाये तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कम्प्यूटराईज्ड चार्ट (Excel Sheet) पर आख्या उपलब्ध करायेगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर निरीक्षण हेतु एक प्रभागी नियुक्त करेंगे जो खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त आख्याओं का संकलन करेंगे, उनका कम्प्यूटराईज्ड चार्ट (Excel Sheet) बनाकर विद्यालय में पायी गयी कमियों एवं Best Practise का चार्ट बना कर जनपद की एक संकलित आख्या एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा तदनुसार कृत कार्यवाही एवं कार्यक्रम/गतिविधिवार बुलेट प्वाइन्ट्स पर आख्या संलग्न प्रारूप (संलग्नक-2) में

मासिक आधार पर शिक्षा निदेशक बेसिक तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को एवं त्रैमासिक आख्या राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना अवश्य सुनिश्चित करेंगे।

- ब्लाक संसाधन केन्द्र/नगर संसाधन केन्द्र पर वर्षपर्यन्त प्रशिक्षण, सेमीनार, वर्कशाप, एक्शन रिसर्च, छात्र, अध्यापक द्वारा किये जा रहे कार्यो का अभिलेखीकरण, रिमाग्नित्रों को दूरस्थ विधि से किये जा प्रशिक्षण, Best Practices का अभिलेखीकरण, स्टेशनरी, मैगजीन, न्यूज पेपर एवं पीरियोडिकल्स डाटा एक्त्रीकरण, सर्वे, वैकलिस्ट जनवाचन हेतु तथा अन्य प्रपत्रों को मुद्रण हेतु प्रति ब्लाक संसाधन केन्द्र/नगर संसाधन केन्द्र ₹10000 की धनराशि अनुमन्य है तथा नियमानुसार इसका व्यय किया जाए।

उपरोक्त शोध एवं मूल्यांकन अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण मद में धनराशि का व्यय सर्व शिक्षा अभियान के मैनुअल आन फाइनेन्शियल प्रोक्योरमेन्ट मद के अनुसार वास्तविक आवश्यकता होने पर नियमानुसार व्यय किया जाये तथा आय व्यय विवरण सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के माध्यम से मासिक आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय में वित्त नियन्त्रक को डायट, जिला परियोजना कार्यालय एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र/नगर संसाधन केन्द्र का पृथक-पृथक गतिविधिवार उपलब्ध कराया जाये। निदेशक एस0सी0ई0आर0टी द्वारा प्रश्नगत योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण किया जाये ताकि प्रश्नगत योजनाओं का सफलता पूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

अर0ई0एम0एस0 मद से अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं का अनुपालन अनिवार्यतः किया जाये-

1. धनराशि जिस मद में स्वीकृत की गयी है इसके अतिरिक्त अन्य मद में कदापि व्यय न की जाये।
2. व्यय अवमुक्त धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जाये।
3. समस्त व्यय सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय नियमों (Manual on financial management and procurement) के अनुसार किया जाये।
4. व्यय सम्बन्धी उपभोग प्रमाण पत्र समयान्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए कार्यक्रमों के सघन अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित

करायें।

संतुष्टक-उत्तपत्।

मददीय,

✱

(अमृता सोनी)

राज्य परियोजना निदेशक

पृष्ठंकन सं०. आर०ई०एम०एस० बजट / 2419 /2013-14 तद्विबांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० लखनऊ।
3. निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, उ०प्र० लखनऊ।
4. वरिष्ठ सलाहकार, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
5. अपर परियोजना निदेशक (टी) राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
7. समस्त वरिष्ठ विशेषज्ञ, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
8. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक समस्त मण्डल।
9. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समस्त जनपद उ०प्र०।
10. स्रष्ट शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उ०प्र०।

✱

(अमृता सोनी)

राज्य परियोजना निदेशक

वर्ष 2013-14 शीघ्र, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु जनपदवार बजट का आवंटन

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जनपद	प्रारम्भिक बजट ₹ 300/-	बजट को अनुमोदित किये जाने वाला बजट			श्रीपरीक्षाओं को अनुमोदित किये जाने वाला बजट			स्वाक को अनुमोदित किये जाने वाला बजट			कुल अनुमोदित धनराशि
			एकल रिक्त	एकल रिक्त पर प्रतिक्षण	योग	श्रीपरीक्षा/सनु श्रवण	मुद्रण, स्टेशनरी आदि	योग	विद्यालयों का निरीक्षण	मुद्रण, स्टेशनरी आदि	योग	
1	आगरा	10.1053	0.4000	0.5440	0.9440	0.5000	1.0000	1.5000	2.4000	1.6000	4.0000	6.4440
2	अलीगढ़	8.1501	0.3250	0.4420	0.7670	0.5000	1.0000	1.5000	1.9500	1.3000	3.2500	5.5170
3	एताहाबाद	11.9324	0.5250	0.7140	1.2390	0.5000	1.0000	1.5000	3.1500	2.1000	5.2500	7.9890
4	अम्बेडकर नगर	6.1645	0.2500	0.3400	0.5900	0.5000	1.0000	1.5000	1.5000	1.0000	2.5000	4.5900
5	औरंगाबाद	4.8407	0.2000	0.2720	0.4720	0.5000	1.0000	1.5000	1.2000	0.8000	2.0000	3.9720
6	आजमगढ़	10.6116	0.5750	0.7820	1.3570	0.5000	1.0000	1.5000	3.4500	2.3000	5.7500	8.6070
7	बदायूँ	7.8421	0.4000	0.5440	0.9440	0.5000	1.0000	1.5000	2.4000	1.6000	4.0000	6.4440
8	बागपत	2.3731	0.1500	0.2040	0.3540	0.5000	1.0000	1.5000	0.9000	0.6000	1.5000	3.3540
9	बलरामपुर	10.7337	0.3750	0.5100	0.8850	0.5000	1.0000	1.5000	2.2500	1.5000	3.7500	6.1350
10	बलिया	8.5101	0.4500	0.6120	1.0620	0.5000	1.0000	1.5000	2.7000	1.8000	4.5000	7.0620
11	बलरामपुर	6.8691	0.2500	0.3400	0.5900	0.5000	1.0000	1.5000	1.5000	1.0000	2.5000	4.5900
12	बीदा	6.3695	0.2250	0.3060	0.5310	0.5000	1.0000	1.5000	1.3500	0.9000	2.2500	4.2810
13	बाराबंकी	9.5471	0.4000	0.5440	0.9440	0.5000	1.0000	1.5000	2.4000	1.6000	4.0000	6.4440
14	बरेली	8.8913	0.4000	0.5440	0.9440	0.5000	1.0000	1.5000	2.4000	1.6000	4.0000	6.4440
15	बस्ती	7.4516	0.3750	0.5100	0.8850	0.5000	1.0000	1.5000	2.2500	1.5000	3.7500	6.1350
16	बनारसी	3.5626	0.1750	0.2380	0.4130	0.5000	1.0000	1.5000	1.0500	0.7000	1.7500	3.6630
17	बामनगढ़	4.7919	0.2000	0.2720	0.4720	0.5000	1.0000	1.5000	1.2000	0.8000	2.0000	3.9720
18	बिजनौर	8.0373	0.3000	0.4080	0.7080	0.5000	1.0000	1.5000	1.8000	1.2000	3.0000	5.2080
19	बुलन्दशहर	7.5401	0.4000	0.5440	0.9440	0.5000	1.0000	1.5000	2.4000	1.6000	4.0000	6.4440
20	घनौली	4.6211	0.2250	0.3060	0.5310	0.5000	1.0000	1.5000	1.3500	0.9000	2.2500	4.2810
21	अमेठी	6.7226	0.4000	0.5440	0.9440	0.5000	1.0000	1.5000	2.4000	1.6000	4.0000	6.4440
22	बिजनौर	4.5295	0.1250	0.1700	0.2950	0.5000	1.0000	1.5000	0.7500	0.5000	1.2500	3.0450
23	देवरिया	8.7571	0.4250	0.5780	1.0030	0.5000	1.0000	1.5000	2.5500	1.7000	4.2500	6.7530
24	एटा	6.0119	0.2250	0.3060	0.5310	0.5000	1.0000	1.5000	1.3500	0.9000	2.2500	4.2810
25	इटावा	5.7923	0.2250	0.3060	0.5310	0.5000	1.0000	1.5000	1.3500	0.9000	2.2500	4.2810
26	फैजाबाद	6.8660	0.3000	0.4080	0.7080	0.5000	1.0000	1.5000	1.8000	1.2000	3.0000	5.2080
27	फारूकानगर	6.0699	0.2000	0.2720	0.4720	0.5000	1.0000	1.5000	1.2000	0.8000	2.0000	3.9720
28	फतेहपुर	8.2416	0.3500	0.4760	0.8260	0.5000	1.0000	1.5000	2.1000	1.4000	3.5000	5.8260
29	फिरोजाबाद	6.7196	0.2500	0.3400	0.5900	0.5000	1.0000	1.5000	1.5000	1.0000	2.5000	4.5900
30	गोतामबुद्धनगर	2.3060	0.1000	0.1360	0.2360	0.5000	1.0000	1.5000	0.6000	0.4000	1.0000	2.7360
31	गोण्डाबाद	1.8759	0.1250	0.1700	0.2950	0.5000	1.0000	1.5000	0.7500	0.5000	1.2500	3.0450
32	गान्धीपुर	9.1323	0.4250	0.5780	1.0030	0.5000	1.0000	1.5000	2.5500	1.7000	4.2500	6.7530
33	गोल्डा	9.8857	0.4250	0.5780	1.0030	0.5000	1.0000	1.5000	2.5500	1.7000	4.2500	6.7530
34	गोरखपुर	9.7688	0.5000	0.6800	1.1800	0.5000	1.0000	1.5000	3.0000	2.0000	5.0000	7.6800
35	हमीरपुर	3.8128	0.1750	0.2380	0.4130	0.5000	1.0000	1.5000	1.0500	0.7000	1.7500	3.6630
36	हरदोई	12.1459	0.5000	0.6800	1.1800	0.5000	1.0000	1.5000	3.0000	2.0000	5.0000	7.6800
37	हाथरस	4.8529	0.2000	0.2720	0.4720	0.5000	1.0000	1.5000	1.2000	0.8000	2.0000	3.9720
38	जालौन	5.8991	0.2500	0.3400	0.5900	0.5000	1.0000	1.5000	1.5000	1.0000	2.5000	4.5900
39	जौनपुर	10.2914	0.5500	0.7480	1.2980	0.5000	1.0000	1.5000	3.3000	2.2000	5.5000	8.2980
40	झाँसी	5.6978	0.2250	0.3060	0.5310	0.5000	1.0000	1.5000	1.3500	0.9000	2.2500	4.2810
41	जे.पी. नगर	4.9352	0.1750	0.2380	0.4130	0.5000	1.0000	1.5000	1.0500	0.7000	1.7500	3.6630
42	कन्नौज	5.3684	0.2250	0.3060	0.5310	0.5000	1.0000	1.5000	1.3500	0.9000	2.2500	4.2810
43	कन्नपुर देहात	7.2778	0.2500	0.3400	0.5900	0.5000	1.0000	1.5000	1.5000	1.0000	2.5000	4.5900
44	कानपुर नगर	7.5523	0.2750	0.3740	0.6490	0.5000	1.0000	1.5000	1.6500	1.1000	2.7500	4.8990
45	काशी राम नगर	4.4777	0.1750	0.2380	0.4130	0.5000	1.0000	1.5000	1.0500	0.7000	1.7500	3.6630
46	काशीबाई	4.7004	0.2000	0.2720	0.4720	0.5000	1.0000	1.5000	1.2000	0.8000	2.0000	3.9720
47	कुरुईनगर	9.7332	0.3750	0.5100	0.8850	0.5000	1.0000	1.5000	2.2500	1.5000	3.7500	6.1350
48	सखीनगर खीरी	12.2222	0.4000	0.5440	0.9440	0.5000	1.0000	1.5000	2.4000	1.6000	4.0000	6.4440
49	खीरीनगर	4.7736	0.1750	0.2380	0.4130	0.5000	1.0000	1.5000	1.0500	0.7000	1.7500	3.6630
50	लखनऊ	6.4359	0.2500	0.3400	0.5900	0.5000	1.0000	1.5000	1.5000	1.0000	2.5000	4.5900

वर्ष 2013-14 शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु जनपदवार बजट का आवंटन

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जनपद	आवृत्तिय बजट ₹ 2013-14	रकम को अग्रगण्य विधे जने वरत			द्वितीयोत्तरे अग्रगण्य विधे जने वरत			दरतके अग्रगण्य विधे जने वरत			कुल अग्रगण्य वनरत
			बजट	बजट	बजट	बजट	बजट	बजट	बजट	बजट	बजट	
1	2	3	4			5			6			7
			एववतन ररतत	एववतन ररतत पर वररररत	ववत	वठकौ/अनु वरत	वुवण स्टेशनरी आदर	ववत	ववतलरतौ कर वरररत	वुवण स्टेशनरी आदर	ववत	
51	महाराजगंज	6.9148	0.3250	0.4420	0.7670	0.5000	1.0000	1.5000	1.9500	1.3000	3.2500	5.5170
52	महोबा	3.1962	0.1250	0.1700	0.2950	0.5000	1.0000	1.5000	0.7500	0.5000	1.2500	3.0450
53	मैनपुरी	6.9636	0.2500	0.3400	0.5900	0.5000	1.0000	1.5000	1.5000	1.0000	2.5000	4.5900
54	मथुरा	6.3536	0.2750	0.3740	0.6490	0.5000	1.0000	1.5000	1.6500	1.1000	2.7500	4.8990
55	मऊ	5.3409	0.2500	0.3400	0.5900	0.5000	1.0000	1.5000	1.5000	1.0000	2.5000	4.5900
56	मेरठ	4.4167	0.3500	0.4760	0.8260	0.5000	1.0000	1.5000	2.1000	1.4000	3.5000	5.8260
57	मिर्जापुर	6.8294	0.3250	0.4420	0.7670	0.5000	1.0000	1.5000	1.9500	1.3000	3.2500	5.5170
58	मुजफ्फरपुर	5.4568	0.2250	0.3060	0.5310	0.5000	1.0000	1.5000	1.3500	0.9000	2.2500	4.2810
59	मुजफ्फरनगर	4.3069	0.2500	0.3400	0.5900	0.5000	1.0000	1.5000	1.5000	1.0000	2.5000	4.5900
60	हापड़	1.9918	0.1000	0.1360	0.2360	0.5000	1.0000	1.5000	0.6000	0.4000	1.0000	2.7360
61	पीलखी	5.6307	0.2000	0.2720	0.4720	0.5000	1.0000	1.5000	1.2000	0.8000	2.0000	3.9720
62	राजमहो	2.2510	0.1250	0.1700	0.2950	0.5000	1.0000	1.5000	0.7500	0.5000	1.2500	3.0450
63	पटनागंज	9.1659	0.4500	0.6120	1.0620	0.5000	1.0000	1.5000	2.7000	1.8000	4.5000	7.0620
64	सचिनपुर	7.8268	0.4000	0.5440	0.9440	0.5000	1.0000	1.5000	2.4000	1.6000	4.0000	6.4440
65	समस्तीपुर	6.2651	0.1750	0.2380	0.4130	0.5000	1.0000	1.5000	1.0500	0.7000	1.7500	3.6630
66	सहायपुर	6.3627	0.3000	0.4080	0.7080	0.5000	1.0000	1.5000	1.8000	1.2000	3.0000	5.2080
67	सहायपुर	4.7797	0.2000	0.2720	0.4720	0.5000	1.0000	1.5000	1.2000	0.8000	2.0000	3.9720
68	सहायपुर	10.0291	0.4000	0.5440	0.9440	0.5000	1.0000	1.5000	2.4000	1.6000	4.0000	6.4440
69	सिद्धार्थनगर	8.3850	0.3500	0.4760	0.8260	0.5000	1.0000	1.5000	2.1000	1.4000	3.5000	5.8260
70	सीतापुर	12.9572	0.5000	0.6800	1.1800	0.5000	1.0000	1.5000	3.0000	2.0000	5.0000	7.6800
71	सोनभद्र	7.6316	0.2000	0.2720	0.4720	0.5000	1.0000	1.5000	1.2000	0.8000	2.0000	3.9720
72	शिवपुरी	3.9561	0.1250	0.1700	0.2950	0.5000	1.0000	1.5000	0.7500	0.5000	1.2500	3.0450
73	सुल्तानपुर	7.7038	0.3750	0.5100	0.8850	0.5000	1.0000	1.5000	2.2500	1.5000	3.7500	6.1350
74	सुल्तानपुर	9.8796	0.4250	0.5780	1.0030	0.5000	1.0000	1.5000	2.5500	1.7000	4.2500	6.7530
75	शारदापुरी	4.9627	0.2250	0.3060	0.5310	0.5000	1.0000	1.5000	1.3500	0.9000	2.2500	4.2810
	योग	511.2745	22.0000	29.9200	51.9200	37.5000	75.0000	112.5000	132.0000	88.0000	220.0000	384.4200

खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा परिवर्दीय विद्यालयों की प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट पर जनपदवार सैसिक शिक्षा अधिकारियों की मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट (Excel Sheet पर)

(गैर अन्ना दार्मिक रिपोर्ट)

मण्डल का नाम:- .....

नाम:- .....

क्र का नाम	निरीक्षणकर्ता (BEO) का नाम		कुल विद्यालयों की संख्या		निरीक्षित विद्यालयों की संख्या		एक शिक्षक विद्यालयों की संख्या		20 से कम नामांकन वाले विद्यालयों की संख्या		विद्यार्थी संख्या					
	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3 का योग																

क्र का नाम	निरीक्षणकर्ता (BEO) का नाम		कुल विद्यालयों की संख्या		निरीक्षित विद्यालयों की संख्या		एक शिक्षक विद्यालयों की संख्या		20 से कम नामांकन वाले विद्यालयों की संख्या		विद्यार्थी संख्या					
	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5 का योग																

क्र का नाम	निरीक्षणकर्ता (BEO) का नाम		कुल विद्यालयों की संख्या		निरीक्षित विद्यालयों की संख्या		एक शिक्षक विद्यालयों की संख्या		20 से कम नामांकन वाले विद्यालयों की संख्या		विद्यार्थी संख्या					
	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7 का योग																

क्र का नाम	निरीक्षणकर्ता (BEO) का नाम		कुल विद्यालयों की संख्या		निरीक्षित विद्यालयों की संख्या		एक शिक्षक विद्यालयों की संख्या		20 से कम नामांकन वाले विद्यालयों की संख्या		विद्यार्थी संख्या					
	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9 का योग																

क्र का नाम	निरीक्षणकर्ता (BEO) का नाम		कुल विद्यालयों की संख्या		निरीक्षित विद्यालयों की संख्या		एक शिक्षक विद्यालयों की संख्या		20 से कम नामांकन वाले विद्यालयों की संख्या		विद्यार्थी संख्या					
	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क	प्रां.क	उपप्रां.क				
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11 का योग																

सालाना 15 दिवस के अनुपस्थित छात्रों की संख्या एवं विद्यालयों की संख्या

प्रशासनिक वि.	उपशाखा	योग	प्रशासिक	उपशाखा	योग	प्रशासिक	उपशाखा	योग	प्रशासिक	उपशाखा	योग
छात्रों की अनुपस्थितता एवं/वापस आने की संख्या	अनुपस्थितता एवं/वापस आने की संख्या	अनुपस्थितता एवं/वापस आने की संख्या	अनुपस्थितता एवं/वापस आने की संख्या	अनुपस्थितता एवं/वापस आने की संख्या	अनुपस्थितता एवं/वापस आने की संख्या	अनुपस्थितता एवं/वापस आने की संख्या	अनुपस्थितता एवं/वापस आने की संख्या	अनुपस्थितता एवं/वापस आने की संख्या	अनुपस्थितता एवं/वापस आने की संख्या	अनुपस्थितता एवं/वापस आने की संख्या	अनुपस्थितता एवं/वापस आने की संख्या
83	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
का योग											

2013-14 में विमानियन मासिक प्रारंभ नहीं वाले निरीक्षित विद्यालयों की संख्या

प्रशासिक	उपशाखा	योग	प्रशासिक	उपशाखा	योग	प्रशासिक	उपशाखा	योग
84	85	86	87	88	89	90	91	92
का योग								

2013-14 में विद्यालय विकास अनुदान प्राप्त नहीं वाले प्रारंभ वाले निरीक्षित विद्यालयों की संख्या

प्रशासिक	उपशाखा	योग	प्रशासिक	उपशाखा	योग	प्रशासिक	उपशाखा	योग
93	94	95	96	97	98	99	100	101
का योग								

2013-14 में विद्यालय विकास अनुदान प्राप्त नहीं वाले प्रारंभ वाले निरीक्षित विद्यालयों की संख्या

प्रशासिक	उपशाखा	योग	प्रशासिक	उपशाखा	योग	प्रशासिक	उपशाखा	योग
102	103	104	105	106	107	108	109	110
का योग								

2013-14 में विद्यालय विकास अनुदान प्राप्त नहीं वाले प्रारंभ वाले निरीक्षित विद्यालयों की संख्या

प्रशासिक	उपशाखा	योग	प्रशासिक	उपशाखा	योग	प्रशासिक	उपशाखा	योग
111	112	113	114	115	116	117	118	119
का योग								

नोट :- कृपया उपरोक्त त्रैमासिक फॉर्मेट Excel पर तैयार कर प्रत्येक जैसा की समझति के अगले माह की 10 तारीख तक राज्य परियोजना कार्यालय को ई-मेल से [spdup@rediffmail.com](mailto:spdup@rediffmail.com), [upfaspo@gmail.com](mailto:upfaspo@gmail.com) पर सॉफ्टकॉपी एवं हार्डकॉपी प्रेषित करें। फॉर्मेट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करें।

शैक्षिक विभागाध्यक्ष

नाम : .....

हस्ताक्षर : .....

दिनांक : .....

ल. आ. सं. सं. : .....

फोन नंबर : .....